भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 162

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

केरल में वित्तीय संकट

162. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में वित्तीय संकट के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में ऋण बोझ, राजकोषीय घाटा, उधार लेने की क्षमता पर प्रतिबंध आदि जैसे गंभीर वित्तीय संकट को हल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल के उधार और ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): केरल राज्य सहित सभी राज्यों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन की निगरानी संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा की जाती है। केरल की राज्य सरकार ने केरल राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2003 पारित किया है। यह राज्य सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह कार्य राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन और राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप सतत ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय अवसंरचना में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा किया जाएगा।

(ग) से (घ) भारत सरकार एक सामान्य मानदंड लागू करती है और सामान्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत राज्य द्वारा उधार को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा निर्धारित राजकोषीय सीमाओं का पालन करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में केरल सरकार सहित राज्य सरकारों को

पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी प्रदान कर रही है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 (10.07.2025 तक) तक इन शीर्षों के अंतर्गत केरल को प्रदान की गई सहायता का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ङ) "राज्य वित्त: बजट का अध्ययन" शीर्षक से भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अंतर्गत तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, विगत 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल की राज्य सरकार की वर्ष-वार बाज़ार उधारी और कुल बकाया देनदारियों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

****

दिनांक 21.07.2025 को उत्तर दिये जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 162

के उत्तर के भाग (ग) से (घ) के संदर्भ में अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 से 2025-26 (10.07.2025 तक) केरल को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (10 जुलाई, 2025)
वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	22,171	15,382	7,246	2,532	558
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	6,896	7,262	6,040	6,106	582
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	8,300	10,249	8,061	7,795	2,218
पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता	238	1,903	-	2,716	657
कुल	37,605	34,796	21,347	19,149	4,015

दिनांक 21.07.2025 को उत्तर दिये जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 162

के उत्तर के भाग (ङ) के संदर्भ में अनुबंध-II

विगत 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल की राज्य सरकार की वर्ष-वार बाज़ार उधारी और कुल बकाया देनदारियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बाज़ार उधारी	कुल बकाया देनदारियां
2015-16	15,000	1,62,272
2016-17	17,300	1,91,623
2017-18	20,500	2,16,499
2018-19	19,500	2,43,746
2019-20	18,073	2,67,585
2020-21	28,566	3,10,856
2021-22	27,000	3,60,037
2022-23	30,839	3,87,798
2023-24	42,438	4,26,020 (स.अ.)
2024-25	53,666	4,71,091(ब.अ.)
2025-26	14,000 (9 जुलाई 2025 तक)	4,81,997 (31.03.2026 तक प्रस्तावित)*

*वित्त विभाग, केरल सरकार द्वारा प्रकाशित 'संक्षेप में बजट 2025-26'